# प्रेस नोट 10.04.2021

**महिला को बैक में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर रूपये ठगने वाला एक शातिर ठग गिरफ्तार–**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री धनंजय मिश्र के कुशल पर्यवेक्षण में थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा थाना स्थानीय की एक महिला से आनलाइन दोस्ती कर सरकारी बैक में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा कर आनलाईन माध्यम से रूपये ठगने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 242/20 धारा 419,420 भादवि में वांछित अभियुक्त बब्बे पुत्र मुन्ना निवासी खिन्नी का पेड़ थाना शाहाबाद जनपद हरदोई को आज दिनांक 10.04.2021 को मतलूपुर मोड़ से गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 29.09.2020 को थाना दक्षिणटोला टोला पर एक महिला द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि एक व्यक्ति जो अपना नाम सलमान निवासी हरदोई बताता है कॉल कर मुझसे दोस्ती कर बैक में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर कई बार में अब तक कुल 04 लाख 15 हजार रूपये आनलाइन तरीके से अपने एकाउंट में ट्रांसफर करा लिया है लेकिन अभी तक मुझे नौकरी नही मिली बाद में मुझे पता चला की वह मुझे ठगी का शिकार बना दिया है। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 242/20 धारा 419,420 भादवि0 बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इस घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना दक्षिणटोला के नेतृत्व में टीम गठित की गयी। साइबर सेल के मदद से ज्ञात हुआ कि उक्त दोनों एकाउन्ट जिसमें महिला द्वारा पैसा ट्रांसफर किया गया है वह हरदोई का है। जिसमें तहकीकात पर आज दिनांक 10.04.2021 को उक्त घटना कारित करने वाला अभियुक्त बब्बे पुत्र मुन्ना निवासी खिन्नी का पेड़ थाना शाहाबाद जनपद हरदोई को गिरफ्तार किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त–**

1. बब्बे पुत्र मुन्ना निवासी खिन्नी का पेड़ थाना शाहाबाद जनपद हरदोई।

**गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–**

उ0नि0 अनुज कुमार पाण्डेय, का0 कृष्ण कुमार यादव, का0 विशाल साहनी थाना दक्षिणटोला।

**तीन शातिर लूटेरे गिरफ्तार, कब्जे से लूट के 3670 रूपये व मोबाईल फोन बरामद–**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी व क्षेत्राधिकारी नगर श्री धनंजय मिश्र के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री डीके श्रीवास्तव के नेतृत्व में चौकी प्रभारी सारहु उ0नि0 श्री राजेश प्रभाकर एवं हमराही फोर्स द्वारा तीन लुटेरों को लूट के मोबाईल व पैसे के साथ दिनांक 09.04.2021 को रात्रि रेलवे स्टेशन परिसर से वादी मुकदमा की निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है कि दिनांक 08.04.2021 को रात्रि करीब 09 बजे खडहरा गली सहादतपुरा में प्रदुम मिश्रा पुत्र शिवधारी मिश्र निवासी दमकिया गोपालगंज बिहार को तीन व्यक्तियों द्वारा मारपीट कर 05 हजार रूपये नगद व

मोबाइल फोन लिया गया था। इस सम्बन्ध में वादी द्वारा सूचना दिया गया जिस पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 131/20 धारा 394 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। पता रस्सी सुराग वह मुखबिर की सूचना पर दिनांक 09.04.2021 को रात्रि में रेलवे ग्राउण्ड से तीन शातिर लूटेरों अभिषेक यादव उर्फ कल्लू यादव पुत्र लंबू यादव ग्राम बहरीपुर थाना रानीपुर, सोनू पुत्र गुड्डू राज निवासी सहादतपुरा थाना कोतवाली, अभिषेक यादव उर्फ गणेश यादव पुत्र हरिहर यादव उर्फ मुसम्मी यादव निवासी मछली मंडी मोहल्ला सहादतपुरा थाना कोतवाली को लूट के मोबाइल फोन एवं 3670 नगर के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्तगण ने अपने जूर्म स्वीकार करते हुए बताए की लूटे गए रूपये में से करीब 1500 रूपये खाने व शराब पीने में खर्च कर दिए तथा बरामद रूपयों को वादी द्वारा लूटे गये बचे रूपये बताए। सभी अभियुक्तगण एक ही मुहल्ले में रहते है उनके द्वार पूर्व की घटनाओं के बारे में जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण–**

**1.** अभिषेक यादव उर्फ कल्लू यादव पुत्र लंबू यादव ग्राम बहरीपुर थाना रानीपुर।
2. सोनू पुत्र गुड्डू राज निवासी सहादतपुरा थाना कोतवाली।
3. अभिषेक यादव उर्फ गणेश यादव पुत्र हरिहर यादव उर्फ मुसम्मी यादव निवासी मछली मंडी मोहल्ला सहादतपुरा थाना कोतवाली।

**बरामदगी–**

1. लूट के 3670 रूपये।
2. एक अदद रियलमी फोन।

**गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–**

1. प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली डी0 के0 श्रीवास्तव, उ0नि0 राजेश प्रभाकर, का0 अंकित, का0 विवेक शर्मा, का0 विजय सिंह थाना कोतवाली।

**गैंगेस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार–**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 10.04.2021 को थाना **घोसी** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मझवारा के पास से मु0अ0सं0 217/21 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त पंकज यादव पुत्र चन्द्रीका यादव निवासी मिश्रौली रामनिधि बभनौली थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

**60 लीटर अवैध कच्ची/अपमिश्रित शराब बरामद, 03 गिरफ्तार–**

दिनांक 09/10.04.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **रानीपुर** पुलिस द्वारा खलीलपुर के पास से प्रमोद राजभर पुत्र बालचन्द्र राजभर निवासी सिहोर भार थाना रानीपुर के कब्जे से एक जरिकेन में 20 लीटर अवैध कच्ची शराब, थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा जजौली के पास से रमेश सोनकर पुत्र घुरा सोनकर, सरोज पत्नी रमेश सोनकर निवासीगण जजौली थाना मधुबन दोनों के कब्जे से 40 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब तथा शराब बनाने के अन्य उपकरण नौसादर, युरिया, फिटकरी, नमक आदि बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना सम्बन्धित पर आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

आज दिनांक 10.04.2021 को आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत जिलाधिकारी मऊ श्री अमित सिंह बंसल तथा पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले द्वारा थाना दोहरीघाट तथा थाना मधुबन का निरीक्षण कर चुनाव के दृष्टिगत चल रही तैयारियों का जायजा लिया गया । इस दौरान क्षेत्र के संवेदनशील मतदान केन्द्रोए स्ट्रांग रूम आदि का गहनतापूर्वक निरीक्षण किया गया। थाना परिसर में एसडीएमए तहसीलदारए बीडीओए लेखपालए कानूनगों व पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ गोष्ठी कर चुनाव को प्रभावित करने वाले अवांछनीय तत्वों के विरूद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाहीए अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाहीए विवादित स्थलों का भ्रमण कर मामलो को निस्तारित करने हेतु सर्वसम्बन्धित को निर्देशित किया गया।